जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची

ज्ञापांक ..../(ii)जि0ग्रा0 दिनांक : ..../........./2022

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधी सूचना

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अंतर्गत प्रखण्ड स्तरीय PMU के निम्न पद के विरूद्ध रिक्ति पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु निम्नवत आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

क्र० सं०	पद का नाम	रिक्ति की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	उम्र–सीमा (01.09.2022) को आयु	मसिक मानदेय
1	लेखापाल–सह– कंप्यूटर ऑपरेटर (प्रखण्ड स्तर)	1– UR 1– SC	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ 6 माह का कार्यानुभवन तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन दक्षता अनिवार्य	18 से 30	रू. 10,000/–

इच्छुक योग्य अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट http://applyrdd.jharkhand.gov.in/ पर Online आवेदन कर सकते हैं। Online आवेदन दिनांक 30/09/2022 से 05/11/2022 तक भरा जा सकेगा। विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ह0/-
उपायुक्त,
राँची।

ज्ञापांक 1105(ii)/जि0ग्रा0 दिनांक : 27/09/2022

प्रतिलिपि :– सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को विभागीय पत्रांक– 1577(अनु०), दिनांक– 28.05.2021 के आलोक में सूचनार्थ। अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार विभागीय वेबसाइट में आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था करने की कृपा की जाये।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, जिला इकाई, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि राँची जिला के वेबसाइट www.ranchi.nic.in पर उपरोक्त सूचना प्रकाशन करना सुनिश्चित करेंगे।

26/9/2022
उपायुक्त,
राँची।

परिशिष्ट –'अ'

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में प्रखण्ड स्तरीय लेखापाल–सह– कम्प्युटर ऑपरेटर की नियुक्ति संबंधी विस्तृत जानकारी :–

1. **पद – लेखापाल–सह– कम्प्युटर ऑपरेटर (प्रखण्ड स्तर)** – चयनित अभ्यर्थी जिला अन्तर्गत किसी भी प्रखण्ड में पदस्थापित किये जा सकेंगे।
2. **रिक्ति** – अनारक्षित– 1, अनुसूचित जाति – 1,
   अनुसूचित जाति के रिक्ति के विरूद्ध आवेदन करनेवाले अभ्यर्थियों को 18 अप्रैल, 2016 के पश्चात सक्षम पदाधिकारी– (अंचलाधिकारी अथवा उच्च अधिकारी) द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र आवेदन के समय Online Upload करना अनिवार्य।
3. **मासिक मानदेय** – रूपये 10,000/– (दस हजार रूपये)
4. सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक– 4306(अनु०), दिनांक–24/12/2021 तथा प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक– 7880, दिनांक– 09/11/2021 के अनुपालन में **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021"** में निम्नवत परिभाषित शैक्षणिक योग्यता लागू होगी :–

   "न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता– अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

   उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

   परंतु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

5. **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता** –
   1. झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमिडिएट उत्तीर्ण (संबंधित शैक्षणिक प्रमाणपत्र आवेदन के समय Online Upload करना अनिवार्य)।
   2. Diploma in Computer Application (संबंधित शैक्षणिक प्रमाणपत्र आवेदन के समय Online Upload करना अनिवार्य)।

6. **अनिवार्य कार्याअनुभव** – 6 माह, संबंधित कार्यानुभव प्रमाणपत्र आवेदन के समय Online Upload करना अनिवार्य)।

   हिंदी तथा अग्रेजी टंकन में दक्षता अनिवार्य (चयन प्रक्रिया में लिखित/प्रयोगिक/ कम्प्युटर टंकन की परीक्षा ली जायेगी)।

7. **उम्र सीमा** – दिनांक 01/09/2022 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष। आयु प्रमाण हेतु मैट्रिक अथवा समकक्ष का प्रमाणपत्र (जिसमें जन्म तिथि उल्लेखित हो)/पैन कार्ड/पासपोर्ट का दस्तावेज सत्यापन किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

अधि० संख्या– 1016(अनु०) ग्रा0वि0–10–PMAY-G–54/2016, राँची, दिनांक 01.03.17

ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लिए प्राप्त 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय हेतु कर्णांकित राशि से जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर निम्न कर्मियों को मासिक मानदेय पर रखने की स्वीकृति दी जाती है :–

जिला स्तर पर :–

क0	पद का नाम	संख्या	मासिक मानदेय
1	2	3	4
1	जिला समन्वयक	24 (एक प्रति जिला)	35000/–
2	प्रशिक्षण समन्वयक	24 (एक प्रति जिला)	35000/–
3	लेखापाल–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर	24 (एक प्रति जिला)	15000/–

प्रखण्ड स्तर पर :–

क0	पद का नाम	संख्या	मासिक मानदेय
1	2	3	4
1	प्रखण्ड समन्वयक	263 (एक प्रति प्रखण्ड)	18000/–
2	लेखापाल–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर	263 (एक प्रति प्रखण्ड)	10000/–

2. उपर्युक्त पदों पर सभी नियुक्तियाँ जिला स्तर पर होगी। सभी नियुक्तियों में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–5776 दिनांक–10.10.2002 तथा संकल्प संख्या–2020 दिनांक–09.04.2010 द्वारा निर्गत कोटिवार एवं जिलावार आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण देय होगा। जिलावार रोस्टर के अनुसार आरक्षण तालिका, संबंधित जिला के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित जिलावार रोस्टर की प्रति तथा आरक्षण से संबंधित संकल्प परिशिष्ट–1, परिशिष्ट–2 तथा परिशिष्ट–3 पर संलग्न है। परिशिष्ट–1 पर रक्षित जिलावार रोस्टर तालिका में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–5776 दिनांक–10.10.2002 के आलोक में महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी देय होगा। स्थानीयता के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–3198 दिनांक 18.04.2016 (परिशिष्ट '4') प्रभावी मानी जाएगी। उपर्युक्त पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त्त निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

3. **शैक्षणिक योग्यता :**

जिला स्तर पर निर्धारित पदों के लिए :–

क्र. सं.	पद का नाम	मासिक मानदेय राशि	उम्र सीमा*	शैक्षणिक योग्यता
1.	जिला समन्वयक	35000/–	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव।
2.	प्रशिक्षण समन्वयक	35000/–	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव।
3.	लेखापाल–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर	15000/–	18–30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ एक वर्ष का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

प्रखण्ड स्तर पर निर्धारित पदों के लिए :–

क्र. सं.	पद का नाम	मासिक मानदेय राशि	उम्र सीमा*	शैक्षणिक योग्यता
1.	प्रखण्ड समन्वयक	18000/–	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।
2.	लेखापाल–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर	10000/–	18–30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ 6 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

उम्र सीमा* :– उम्र की गणना 01.01.2017 के आधार पर की जाएगी।

4. **नियुक्ति प्रक्रिया :–**

I) जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जायेगी। जिला स्तरीय चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1. उपायुक्त– — अध्यक्ष
2. उप विकास आयुक्त– — सदस्य
3. निदेशक, डी0आर0डी0ए0– — सदस्य–सह–संयोजक
4. जिला सूचना पदाधिकारी — सदस्य
5. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए नामित (उपायुक्त द्वारा मनोनीत पदाधिकारी) — सदस्य

उपर्युक्त सभी चयन समिति के स्थायी सदस्य होंगे तथा दक्षता परीक्षा हेतु विषय विशेषज्ञ रखे जायेंगे।

II) नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव, एवं दक्षता परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

5. **मेधा सूची :–**

I. सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी। एक पद के विरूद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जायेगा। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (जहाँ आवश्यक हो) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी।

II. सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

III. दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा।

IV. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप मे रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

V. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी तथा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लौटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

6. **मूल्यांकन :–**

I. आवेदक का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जायेगा, जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा :–

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित अनुभव	दक्षता परीक्षा		कुल योग
		विषय ज्ञान	कंप्यूटर ज्ञान	
50	20	10	20	100

उक्त अंकित अंकों की गणना हेतु तालिका परिशिष्ट–'5' पर संलग्न है। प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड समन्वयक के पद के लिए उम्मीदवारों में रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी।

II. कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा पिछडा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

IV. कम्प्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा ले सकती है।

7. **आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :**

I. इच्छूक एवं योग्य उम्मीदवारों को संबंधित जिला के लिए ऑनलाईन आवेदन http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर अंतिम निर्धारित तिथि तक समर्पित करना होगा।

II. आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।

III. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा जो निम्नवत् होगा :–

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
जिला स्तर			
1.	जिला समन्वयक	500/–	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		300/–	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए
2.	प्रशिक्षण समन्वयक	500/–	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		300/–	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए
3.	लेखापाल–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर	200/–	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		150/–	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए
प्रखण्ड स्तर			
1.	प्रखण्ड समन्वयक	400/–	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		200/–	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए
2.	लेखापाल–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर	150/–	सामान्य/अ०पि०/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		100/–	अ०जा० एवं अ०ज०जा० के लिए

IV. यदि आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो उन्हें पदवार अलग–अलग शुल्क जमा करना होगा।

V. आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

VI. जिला–स्तरीय पद के लिए नियुक्ति हेतु विज्ञापन सभी जिलों में अलग–अलग प्रकाशित किया जाएगा परन्तु सभी जिलों से आवेदन विभागीय पोर्टल http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर ऑनलाईन प्राप्त किया जाएगा।

8. **संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवाशर्त्त निम्नवत् होगी :–**

(i) प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जायेगी। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यो का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।

(ii) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुवित से स्वतः मुवत होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुवित पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुवित पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परंतु कार्य असंतोषजक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुवित पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

(iii) उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुवत कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(iv) संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

(v) कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।

(vi) आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।

(vii) आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यो से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

(viii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।

(ix) नियुक्त कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

अनु : यथोक्त

Neha 28/2/17

(एन० एन० सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:– 1016 **/ग्रा0वि0–10–PMAY-G–54/2016,** **राँची, दिनांक:–** 01-03-17
प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ उपायुक्त/उप विकास आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

Neha 28/2/17

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:– 1016 **/ग्रा0वि0–10–PMAY-G–54/2016,** **राँची, दिनांक:–** 01-03-17
प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Neha 28/2/17

सरकार के प्रधान सचिव

Annexure-I

PRADHANMANTRI AWAAS YOJANA-GRAMIN

Sl No	District	No. of Block	No. of Post	Reservation Roster for BPMU under PMAY-G					Total
				UR	ST	SC	BC-I	BC-II	
1	Bokaro	9	9	5	1	1	1	1	9
2	Chatra	12	12	6	1	2	2	1	12
3	Deoghar	10	10	5	1	1	2	1	10
4	Dhanbad	11	11	6	1	1	2	1	11
5	Dumka	10	10	5	5	0	0	0	10
6	East Singhbhum	11	11	6	3	0	1	1	11
7	Garhwa	20	20	10	3	5	1	1	20
8	Giridih	13	13	7	1	1	2	2	13
9	Godda	9	9	5	2	1	1	0	9
10	Gumla	12	12	6	6	0	0	0	12
11	Hazaribagh	16	16	8	0	2	4	2	16
12	Jamtara	6	6	3	2	1	0	0	6
13	Khunti	6	6	3	3	0	0	0	6
14	Koderma	6	6	3	0	1	1	1	6
15	Latehar	9	9	5	3	1	0	0	9
16	Lohardaga	7	7	4	3	0	0	0	7
17	Pakur	6	6	3	3	0	0	0	6
18	Palamu	20	20	10	2	5	2	1	20
19	Ramgarh	6	6	3	2	0	1	0	6
20	Ranchi	18	18	9	6	1	2	0	18
21	Sahibganj	9	9	5	4	0	0	0	9
22	Saraikela-Kharsawan	9	9	5	4	0	0	0	9
23	Simdega	10	10	5	4	1	0	0	10
24	West Singhbhum	18	18	9	8	1	0	0	18
	TOTAL	**263**	**263**	**136**	**68**	**25**	**22**	**12**	**263**

Scanned by CamScanner

पत्रांक– 10-PMAY-G-68/2021 / ग्रा०वि०–......4603 (अनु०).............../

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेषक,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त / उप विकास आयुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 24/12/2021 /

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय PMU के विभिन्न पदों में नियुक्ति के संबंध में।

महाशय / महाशया,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक–21.10.2021 को सम्पन्न कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा गठित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक / 10वीं स्तर, इण्टरमीडिएट / 10+2 स्तर तथा स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के अनुरूप सभी विभागों में विभिन्न सेवा / संवर्गों के लिए पूर्व से गठित नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावलियों में अपेक्षित संशोधन के निमित्त आहूत बैठक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निम्न निदेश दिये गये हैं :–

"संविदा आधारित समरूप वेतनमान के पदों पर नियुक्ति में भी स्थायी अपराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु वर्त्तमान में किये गये संशोधन के अनुरूप प्रावधान निरूपित करते हुए नियुक्ति की कार्रवाई की जाय।"

उक्त बैठक की कार्यवाही पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त निदेश के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय PMU पर नियुक्ति के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

23.12.21

सरकार के अपर सचिव।

7880
09/11/2021

माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक-21.10.2021 को सम्पन्न कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा गठित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर, इंटरमीडिएट/10+2 स्तर तथा स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के अनुरूप सभी विभागों में विभिन्न सेवा/संवर्गों के लिए पूर्व से गठित नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावलियों में अपेक्षित संशोधन की अद्यतन स्थिति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

कार्यवाही:-

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा गठित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर, इंटरमीडिएट/10+2 स्तर तथा स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के अनुरूप विभिन्न विभागों के द्वारा अपने विभागान्तर्गत विभिन्न सेवा/संवर्गों के लिए पूर्व से गठित नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावलियों में प्रस्तावित संशोधन की स्थिति के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया।

उक्त की समीक्षोपरान्त माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उल्लेख किया गया कि इस वर्ष को राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषित किया गया है एवं मानवबल की कमी की वजह से राजस्व संग्रहण एवं विकास कार्यों पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। तदोपरांत माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न विभागान्तर्गत रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई अविलंब सम्पन्न करने के निमित्त विभिन्न अराजपत्रित पदों के नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावलियों में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर, इंटरमीडिएट/10+2 स्तर तथा स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के अनुरूप संशोधन करने के निमित्त निम्न निदेश दिये गये:-

(i) सभी विभागों के अधीन सेवाशर्त्त नियमावलियों में एतद्संबंधी संशोधन की कार्रवाई दिनांक-31.10.2021 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाय। एतदर्थ एक नोडल पदाधिकारी सभी विभागों के अन्तर्गत घोषित करते हुए नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जाय।

(ii) जिन पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को पूर्व में प्रेषित है एवं जिन पर निकट भविष्य में नियुक्ति की जानी है, से संबंधित नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

(iii) विभिन्न विभागान्तर्गत संविदा आधारित समरूप वेतनमान के पदों पर नियुक्ति में भी स्थायी अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु वर्त्तमान में किये गये संशोधन के अनुरूप प्रावधान निरूपित करते हुए नियुक्ति की कार्रवाई की जाय।

(iv) नियमावलियों में संशोधन के क्रम में स्पष्टता का ध्यान रखा जाय ताकि, नियुक्ति की कार्रवाई के क्रम में अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न न हो।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

बैठक की कार्यवाही पर मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

9.11.21
(वंदना दादेल)
प्रधान सचिव,
कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग,
झारखण्ड, झारखण्ड।

ज्ञापांक:-15/नीति नि०-07-06/2021 का०- 7880 रॉंची, दिनांक- 09/11/2021

प्रतिलिपि:- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9.11.21
प्रधान सचिव,
कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग,
झारखण्ड, झारखण्ड।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-418 राँची, गुरूवार, 12 अगस्त, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

10 अगस्त, 2021

संख्या-11/क0च0आ0-16-5/2013 का.-3849-- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 **(**झारखण्ड अधिनियम 16, 2008**)** की धारा 12 की उप धारा **(i)** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-**

(i) यह नियमावली **"झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021"** कहलाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-5-पात्रता/अहर्त्ता का निर्धारण की कंडिका-(ii) में निम्नांकित प्रावधान हैं :-

"अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- "अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

3. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(iv) में निम्नांकित प्रावधान हैं :-

''राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अहर्त्तांक लागू होगा। न्यूनतम अहर्त्तांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे'';

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

7(iv)(क) इस परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्त्तांक (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) निम्नवत् निर्धारित रहेगा :-

क्र0 सं0	**कोटि**	**न्यूनतम अहर्त्तांक**
1	अनारक्षित	40 प्रतिशत
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला	32 प्रतिशत

3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-I)	34 प्रतिशत
4	पिछड़ा वर्ग (अनु०-II)	36.5 प्रतिशत
5	आदिम जनजाति समुह	30 प्रतिशत
6	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

(ख) पत्र-1 - भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।

(ग) पत्र -2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(घ) पत्र -3- सामान्य ज्ञान में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ङ) पत्र -2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा एवं पत्र -3- सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर उपरोक्त नियम-7(iv)(क) के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा।"

4. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(**vi**) में निम्नांकित प्रावधान है :-

" आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता/अहर्त्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा" ;

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता/अहर्त्ता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।

5. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(x) में निम्नांकित प्रावधान है :-

"मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक समकक्ष अथवा अन्य अहर्त्ता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर

वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातक समकक्ष एवं अन्य अहर्त्ता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करनेवाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा। ";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

6. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-8 (i) में निम्नांकित प्रावधान है :-

"परीक्षा का स्वरूप

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

परंतु किसी परीक्षा के लिए 15,000 (पंद्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"परीक्षा एक चरण (मात्र मुख्य परीक्षा) में ली जाएगी।"

7. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-10 में निम्नांकित प्रावधान है :-

"पत्र-2-हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया।

विभागीय संकल्प संख्या 5726 दिनांक 05.07.2016 के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) नियमावली, 2016 के नियम-10 मुख्य परीक्षा के पत्र-2 में अंकित भाषाओं में संस्कृत भाषा को सम्मिलित किया गया है ";

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"पत्र-2- चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा

चिन्हित 12 (बारह) क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा- उर्दू/ संथाली /बंगला/ मुण्डारी(मुण्डा)/ हो/ खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे।"

8. **झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) के नियम-7(v), 8(i) एवं नियम-9 (प्रारम्भिक परीक्षा/प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम) में अंकित प्रावधान को विलोपित किया जाता है।**

9. **झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा विनियमावली, 2011 (अधिसूचना संख्या-325 दिनांक 13.12.2011) एवं इस नियमावली के प्रावधानों के परस्पर विरोधाभाषी अथवा प्रतिकूल होने की स्थिति में इस नियमावली के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (overriding effects) के साथ लागू होंगे।**

10. **विभागीय संलेख ज्ञापांक 3765 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021" के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 05.08.2021 को संपन्न बैठक में मद संख्या-26 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 418 -- 50